अनुलग्नक–J

सभा करने की अनुमति / आदेश

आवेदक **श्री अमिरीलाल ठाकुर** पार्टी का नाम **जदयू** निम्नलिखित तिथि / समय एवं स्थान पर सभा करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया गया है।

सभा में निम्नलिखित सामग्रियों का उपयोग किया जाएगा।

1. सभा का स्थान	–	दीपक मैरेज हॉल, ढ़ाका
2. तिथि	–	21.04.2019
3. समय	–	11.00 बजे पूर्वा0 से 04.00 बजे अप0 तक

सभा / रैली (कार्यक्रम) में उपयोग होनेवाली सामग्री–

1. 150 (एक सौ पचास) कुर्सी

अतः सभा (कार्यक्रम) करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर दी जाती है:–

1. सभा / रैली (कार्यक्रम) निर्धारित समयावधि के बीच निर्धारित स्थल पर ही किया जाएगा।
2. सभा / रैली (कार्यक्रम) के मंच का आकर इस प्रकार का हो कि यातायात बाधित न हो।
3. सभा (कार्यक्रम) में शामिल किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेयास्त्र या अन्य घातक अस्त्–शस्त्र का प्रदर्शन नही किया जाएगा तथा कोई भी व्यक्ति इसमें मादक पदार्थ का सेवन कर भाग नहीं लेगा। इसे आवेदक / आयोजक सुनिश्चित करायेंगे।
4. सभा (कार्यक्रम) में किसी भी व्यक्ति द्वारा उत्तेजक या भड़काने वाला भाषण या वक्तव्य नही दिया जाएगा, जिससे किसी भी धर्म / जाति एवं समुदाय विशेष की भावनाओं को ठेस पहुँचे।
5. भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लागू आदर्श आचार संहिता एवं इस संबंध में समय–समय पर निर्गत विभिन्न आदेशों / निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
6. मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करना आयोजक / आवेदक सुनिश्चित करायेंगे।
7. किसी प्रकार की विधि–व्यवस्था की सिथिति उत्पन्न होने पर पूर्ण जवबदेही आवेदक / आयोजक की होगी।
8. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने पर पूरी जवाबदेही आयोजक की होगी और अनुमति पत्र स्वतः रद्द माना जाएगा तथा आदर्श आचार संहिता में निहित प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

20/4/19

अपर समाहर्त्ता, आपदा–सह–
सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं
नोडल पदाधिकारी,
एकल खिड़की कोषांग
शिवहर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र

ज्ञापांक 108 /ए0खि0को0, मोतिहारी, दिनांक 20 अप्रैल, 2019

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, ढ़ाका/प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी, ढ़ाका/थानाध्यक्ष, ढाका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित। निदेश है कि निर्धारित कार्यक्रम के दौरान आदर्श आचार संहिता के संबंध में सतत निगरानी करेंगे ।

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी, आदर्श आचार संहिता कोषांग(एम0सी0सी0)/उप निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, व्यय एवं अनुश्रवण कोषांग, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही निदेश है कि निर्धारित तिथि एव समय पर उक्त स्थल पर F.S.T एवं V.S.T की प्रतिनियुक्ति हेतु निदेशित करेंगे, तथा इनसे Videography की CD प्राप्त कर VVT से जाँच कराते हुए नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, नियंत्रण कक्ष, प्रेस क्लब मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही निदेश दिया जाता है कि संबंधित पदाधिकारीयो को अपने स्तर से सूचित करना सूनिश्चित करगें।

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिलाधिकारी, मोतिहारी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

20/4/19

अपर समाहर्त्ता, आपदा–सह–
सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं
नोडल पदाधिकारी,
एकल खिड़की कोषांग
शिवहर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र